Yojana Bhavan, Sansad Marg, New Delhi, the March, 2014.

VACANCY CIRCULAR

Sub:- Recruitment to the GCS posts of Joint Adviser in the Planning Commission in the Pay Band: 4 of Rs.37400-67000 + 8700 (Grade Pay) on Promotion/Deputation (including short-term contract) basis.

Planning Commission requires the services of suitable Officers for appointment to the following posts of Joint Advisers [General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial] by Composite Method i.e. Promotion/Deputation (including short-term contract):-

S.	Name of the post	Number of vacant posts		
No.				
1.	Joint Adviser (Labour and Employment)	01 (one)		
2.	Joint Adviser (Industries and Infrastructure Planning)	01 (one)		
3.	Joint Adviser (Village & Small Industries)	01 (one)		
4.	Joint Adviser (Scientific Research)	01 (one)		
5.	Joint Adviser(Agriculture)	01 (one)		
6.	Joint Adviser (Multi Level Planning)	01 (one)		
7. Joint Adviser (Industrial Economics/Management)		01 (one)		

2. The selection for these posts will be made by UPSC. If a Departmental Deputy Adviser of the Planning Commission is recommended by the UPSC for appointment to any post, it will be treated as having been filled up by Promotion and in case an outside candidate is recommended by the UPSC, the post will be offered on Deputation/shorter-term contract basis for a specific period not exceeding five years.

3. Duties attached to the posts

1. Joint Adviser (Labour & Employment)

The Joint Adviser (Labour & Employment) is to assist the Adviser in carrying out the functions of the Labour Employment and Manpower Division as per work that may be allocated to the officer. The Officer should be conversant with the technical/ operational aspects pertaining to:-

- 1. Formulation of employment and manpower planning, strategy and programme in general and with specific reference to target groups.
- 2. Wages, income and labour market.
- 3. Investment, technology and labour absorption of different sectors.
- 4. Labour policy and labour welfare schemes.
- 5. Interpretation and analysis of demographic employment/unemployment and manpower data from surveys and other sources.
- 6. Linkage between education, training, skill formulation and manpower planning.
- 7. Monitoring of the employment and manpower aspects of the Plans and specific programmes &
- 8. Evaluation of projects and programmes in the field of labour, employment and manpower.

The officer should also be able to conduct research analytical/ estimational studies in the field of labour, employment and manpower.

2. Joint Adviser (Industries & Infrastructure Planning)

- 1. Preparation of the medium and long term plans for the development of industries and minerals and for infrastructure, viz. energy (coal, petroleum and power) and transports.
- Participation in the working groups and committees constituted in connection with the formulation of the Five-Year Plans.
- Preparation of Material Balances to estimate demand in physical units for a number of important commodities taking into consideration the growth rates of consuming sectors as emerging from the input-output model.
- 4. Continuous updating of physical consumption norms (inter-industry linkages) on the basis of latest technological developments required for preparation of the material balances.
- 5. Studies to forecast demand for consumer goods such as textiles, automobiles tires, paper and sugar and analysis of industrial projects from the demand angle to assist investment decisions thereon.
- Projection of capacities to be created in the key industries on the basis of targets of demand, output and capacity utilization.
- 7. Analysis of the past trends in production of various manufacturing industries.
- 8. Study of the trends in investment, output, capital-output ratios, etc., in the private corporate and non-corporate manufacturing sector.
- 9. Studies relating to structural changes within an industrial sector, industrial policy, licensing and concentration.
- 10. Organising the collection of data on annual production of a large number of industries (more than 500) to update the input-output table.
- 11. Studies on environmental planning and control of pollution.
- 12. Productions, imports and exports of industrial commodities and their impact on balance of payments.
- 13. Studies on the long-term strategy on the availability and use of renewable and on-renewable resources.
- 14. Appraisal of PPP projects.

3. Joint Adviser (Village & Small Industries)

- Preparation of the medium and long term plans for the development of Village and Small Industries (VSI) sector.
- 2. Formulation priorities and strategies of the VSI Sector taking into consideration present economic situation, globalization and economic liberalization, WTO related aspects, contribution towards economy, forward and backward linkages with industry sector, etc.
- 3. Preparation of chapters on VSI Sector for Five-Year Plans and Annual Plan Documents.
- 4. To evaluate/examine the schemes and programmes/projects of the VSI Sector proposed by the Concerned Ministries/Departments and State Governments/Organisations and assess requirement of funds and to recommend plan outlays/ budgetary resources for the Ministries/Departments/ State Governments/ Organisations for the Five-Year Plans and Annual Plans.
- 5. Participation in Committees/Groups constituted to evaluate/assess performance of schemes/programmes/organizations with respect to set objectives to ensure justified utilisation of plan fund (budgetary and other resources).
- 6. To prepare comments/evaluation notes and examine proposals/projects/ schemes, etc. for preparation of notes for the Cabinet, Group of Ministers, Expenditure Finance Committee, Committees of Secretaries and concerned Ministries/Departments, etc., for VSI Sector.
- 7. To assist senior officers/Members of the Planning Commission, in all official work/duties assigned from time to time with respect of VSI Sector.
- 8. To provide guidance to subordinate staff to work as a team so as to fulfill all orders/directives of senior officers, Members of the Planning Commission, official assignments, etc., relating to VSI Sector.
- To visit/examine performance of schemes/programmes/ projects/ organizations of the VSI Sector being implemented by Central/ State Governments and to assess the efficiency and efficacy of plan funds/resources utilisation.

4. Joint Adviser (Scientific Research)

- 1. Examination and appraisal of Annual, Five-Year Plan programmes and allocation of Department of Science and Technology, Scientific and Industrial Research and CSIR, Bio-Technology, Ocean Development, Atomic Energy (R&D), Space, Forensic Science and Police Wireless, Ministry of Environment, Forests and Wild Life including Wasteland Development.
- 2. Science and Technology and Environment programmes of all State Governments and Union Territories.
- 3. Science and Technology component of major socio-economic Ministries/Departments.

- 4. Coordination of work relating to foreign technical assistance programmes on behalf of the Planning Commission.
- 5. Review of progress of Science and Technology efforts initiating recommendatory measures.
- 6. Follow up studies on major projects/ schemes/ areas selected for continuous appraisal.
- 7. Participation in High Level Expert Committee meetings.
- 8. Examination of Cabinet papers and other Secret matters.
- 9. Preparation of various analytical and scientific papers on various subjects pertaining to Science and Technology and related matters.
- 10. Guidance to subordinate officers on the above.
- 11. Acquaintance with Government policies in Science and Technology.

5. Joint Adviser (Agriculture)

Joint Adviser (Agriculture) will require to work under supervision, guidance, directions etc. of Adviser (Agriculture) and Principal Adviser (Agriculture). He will initiate and undertake Planning Studies etc. in the field of Agriculture covering terrestrial and aquatic surfaces.

6. Joint Adviser (Multilevel Planning)

To assist the concerned Adviser of Planning Commission in:-

- 1. Formulating policies related to Area Development particularly the Hill Areas Development Programme, Western Ghats Development Programme and the Border Areas Development Programme.
- 2. Monitoring and coordinating the operation of the Hill Areas Development Programme, Western Ghats Development PRogramme and the Border Areas Development Programme.
- 3. Examining the plans/schemes submitted by the State Governments for Special Area Development/Backward Areas.
- 4. Coordinate and monitor the Action Plan for the KBK districts of Orissa.
- 5. Getting impact studies conducted and feed findings into policies/programmes and also attending to Parliament work on the subject of area development/backward areas and multi level planning.

7. Joint Adviser (Industrial Economics/Management)

- 1. The incumbent will be responsible for general issues of economic and industrial policies and programmes and coordination work in the Industry Division.
- 2. Examination, formulation and review of the policies and programmes covering general issues, prices, fiscal and financial levies, export, import and comparative advantages thereto including other aspects related to international trade.
- 3. To undertake studies on various aspects of industrial economics and management.
- 4. Formulation and examination of proposals received from various Ministries/State Governments including aspects covering general economic and industrial issues.
- 5. Participation in apex Government agencies dealing with industrial programmes, viz., Development Councils, Licensing Committees, Project Approval Board, Foreign Investment Board, Capital Goods Committee, NRI Committee, etc.
- Examination of Notes of Cabinet/Cabinet Committees/Group of Ministries/Committees of Secretaries, etc.
- 7. Maintaining coordination with various Central Ministries/Departments/ State Governments, etc., regarding matters, policies, programmes and general issues concerning economic development.
- 8. Examination and appraisal of proposals received from various Ministries/ States/Industry Associations/ Individuals, etc., concerning economic development.
- Assist Senior Officers/ Commission in the formulation of Annual, Five-Year and Long-term
 Perspective Plans including policies thereto and such other work as may be assigned from time-to-time,
 e.g., in connection with Parliament and its Committees, VIP references, etc.
- 10. To supervise and guide Deputy Advisers and other research staff in the Division.

4. ELIGIBILITY:

FOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT):

Officers of the Central/State Governments/Union Territories/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Autonomous organizations;- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for the post, as mentioned against item No.7 below.

FOR PROMOTION:

The Departmental Deputy Advisers of the Planning Commission in PB-3, Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs.7600 with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the qualifications prescribed for the post, as indicated against item No. 7 below.

5. AGE LIMIT:

The maximum age limit for appointment by Deputation (including Short-Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the crucial date for determining eligibility as indicated against item No. 6 hereunder.

6. CRUCIAL DATE FOR DETERMINING ELIGIBILITY:

It will be the closing date for receipt of applications.

7. QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:

1. Joint Adviser (Labour and Employment)

ESSENTIAL:

- (i) Masters' Degree in any branch of Social Science or Statistics of a recognised University.
- (ii) 12 years' experience in research/development/planning/evaluation of projects/ programmes in the field of labour and employment.

DESIRABLE:

- (i) Doctorate degree in the concerned field.
- (ii) At least 6 out of 12 years' experience should be on organizing field surveys or collection, analysis and interpretation of statistical/econometric data relating to or in-monitoring employment programmes.
- (iii) Published work if any in the field of labour and employment or related areas.

2. Joint Adviser (Industries and Infrastructure Planing)

ESSENTIAL

- (i) Masters' degree in Science/Economics/Statistics or Degree in Engineering or Technology from a recognized University or Part 'A' & 'B' of Associate Member of Institute of Engineering (AMIE).
- (ii) 12 years' experience in research/ appraisal/execution of development projects/ progammes in the field of industrial and infrastructural planning, material and commodity balances.

DESIRABLE:

- (i) Doctorate Degree in Science/Economics/Statistics or Masters' Degree in Technology/Engineering.
- (ii) Published work if any in the field of changing structure of supply and demand of metals, manufactures, chemicals, power and transport in the country.
- (iii) At least 6 out of 12 years' experience should on planning concepts and/or long term planning for industrial and infrastructure planning.

3. Joint Adviser (Village and Small Industries):

ESSENTIAL:

- (i) Degree in Engineering or Technology from a recognized University or equivalent or Part 'A' & 'B' of Associate Member of Institute of Engineering (AMIE), or Masters' Degree in Physics/Chemistry/Business Administration.
- (ii) Twelve years' experience in planning at national level/development/promotion/ execution in the area of industry/industrial development/small scale industries/village and small industries sectors.

DESIRABLE:

- (i) Doctorate Degree in the relevant areas of Science or Masters' Degree in Engineering.
- (ii) At least 2 out of 12 years' experience should be on developing/promotion of village and small industries.
- (iii) Training, if any on government policies/regulations in regard to development/ promotion of village and small industries.
- (iv) Published work if any in the field of village and small industries and its interface with other segments of industries/industrial sector, etc.
- (v) At least 4 out of 12 years' experience should be on evaluation/formulation of policies/ projects/ programmes/schemes/plan documents in the field of Village and Small Industries Sector.

4. Joint Adviser (Scientific Research)

ESSENTIAL:

- (i) Masters' Degree in Science or Degree in Engineering of a recognised University or Part 'A' & 'B' of Associate Member of Institute of Engineering (AMIE)
- (ii) 12 years' experience in research/design/development or in execution of research and development programmes/projects in the field of science and technology.

DESIRABLE

- (i) Doctorate degree in any area of Science or Masters' Degree in Engineering.
- (ii) At least 4 out of 12 years' experience should on conducting/organizing/guiding/planning research in multidisciplinary areas or in frontier areas/newly emerging areas in science and technology.
- (iii) At least 2 out of 12 years' experience should be on collection, analysis and dissemination of scientific and technological information.

5. Joint Adviser (Agriculture):

ESSENTIAL:

- (i) Masters' Degree in Agriculture from recognized University.
- (ii) 12 years' experience in research/development/planning/implementation of projects in the field of agriculture out of which a minimum of 3 years of field experience at District/ Division/Project level in agricultural production.

DESIRABLE

- (i) Doctorate degree in Agriculture.
- (ii) Training if any in different aspects of agricultural development and/or field execution service.
- (iii) At least 6 out of 12 years' experience should be on evaluation/appraisal of projects/ schemes in agricultural development/extension.

6. Joint Adviser (Multi-level Planning)

ESSENTIAL

 Masters' Degree in Economics/Commerce/Mathematics/Statistics/Operations Research/Geography from a recognized University. (ii) 12 years' experience in a responsible capacity in Multi-level/Regional/Area Planning including experience in the formulation as well as critical examination of plans at regional and local levels, preparation of guidelines, policy analysis and organization of training programmes.

DESIRABLE

- (i) Doctorate Degree in the relevant subject from a recognized University.
- (ii) Published work in the field of multi-level/regional/area planning.

7. <u>Joint Adviser (Industrial Economics/Management)</u>:

ESSENTIAL:

- (i) Masters' Degree in Science/Economics/Commerce/Mathematics/Statistics/Operations Research/Business Administration or Degree in Engineering of a recognized University or Part 'A' & 'B' of Associate Member of Institute of Engineering (AMIE)
- (ii) 12 years' experience in Industrial Economics/Management covering techno-economic appraisal of large projects, their techno-economic analysis covering demand, supply, pricing growth, etc., monitoring and evaluation of such projects, developing system models for the same.

DESIRABLE:

- (i) Doctorate degree in the relevant branch of Industrial Economics or Masters' Degree in Engineering.
- (ii) At least 2 out of 12 years' experience should be on conducting/organizing/guiding research and preparation of research papers on detailed project reports.
- (iii) Training if any with regard to principles and policies of industrial licensing, foreign investment and collaboration, developments in international economics, specially relating to developing countries and matters, such as International Monetary Fund and General Agreement on Trade and Tariffs, Economic Communities, International Trade, etc.
- (iv) At least 4 out of 12 years' experience should be techno-economic studies or detailed project reports.

8. PERIOD OF DEPUTATION/ CONTRACT:

Period of deputation/ contract including period of deputation/ contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The terms and conditions of deputation will be regularised according to the orders contained in the Govt. of India, DoPT's OM No.6/8/2009-Estt.(P.II), dated 17th June, 2010, as amended from time to time, in the case of those coming on deputation including short-term contract.

- 9. Applications/Curriculum Vitae (two copies) for the post, in the enclosed prescribed proforma duly signed by the candidate and countersigned by the Head of Office or an officer authorized to sign on his behalf alongwith the following documents in respect of eligible candidates who can be spared for taking up the assignment within one month from the date of intimation about selection may please be forwarded to the undersigned(Under Secretary (Adm.I), Planning Commission, Yojana Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110 001),:
 - (i) Cadre Clearance/Specific No Objection.
 - (ii) Up-to-date Confidential Report Dossier of the candidate or photocopies of the Annual Confidential Reports of the candidate for the last five years duly attested on each and every page by an officer not below the rank of Under Secretary to the Govt. of India;
 - (iii) Integrity Certificate (IC) to be signed by an Officer not below the rank of Deputy Secretary to the Govt. of India (in the prescribed proforma);
 - (iv) Vigilance Clearance (VC) indicating that no disciplinary proceedings or criminal proceedings are either pending or contemplated against the Officer concerned (in the prescribed proforma); and
 - (v) List of major/ minor penalties, if any, imposed on the candidate during the last 10 years <u>OR</u>
 No Penalty Certificate (PC), as the case may be (in the prescribed proforma).

- 10. Applications of only those candidates who are clear from vigilance angle need be forwarded. The vacancy is also being published in the Employment News shortly. The closing date for receipt of applications will be 60 days from the date of publication of the advertisement in the Employment news.
- 11. Applicants should ensure that the application is complete in all respects and is in the **prescribed proforma**. No column of the proforma should be left blank. Wherever information is "Not Applicable" or "Nil", it may please be so stated. Only applications, complete in all respects, received through proper channel on or before the specified closing date shall be considered.

Under Secretary to the Govt. of India Tele. 23096531

[FORMAT OF VARIOUS CERTIFICATES REQUIRED TO BE ENCLOSED SEPARATELY ALONGWITH THE APPLICATION OF CANDIDATE WHO APPLIES FOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT) BASIS

INTEGRITY CERTIFICATE

After	scrutinizing	Annual	Confide	ential R	eports	of	Dr./Shri/Sn	nt./Ms.
			_ who h	as applied	for the	post	of Joint A	Adviser
)	in the Pla	nning Co	mmission (on Deput	ation (ir	ncluding sho	ort-term
contract), it is cer	tified that his/ h	er integrity i	s beyond o	loubt.				
							•	
				[To be s	De	puty Se	cer of the r cretary or a ce Seal :	
	<u>VIG</u>	LANCE CL	EARANC	CE CERTII	FICATE			
Certified	that no vigilar	ice case or d	lisciplinar	y proceedin	gs or crin	ninal pr	oceeding is	either
pending or conte	mplated agains	t Dr./Shri/Sm	nt./Ms			,		_ who
has applied for the	he post of Join	Adviser (_) in the	Plannin	g Commiss	ion on
Deputation (includ	ing short-term co	ntract).						
						[Auth	orised sign	atory]
					Name Date :		ce Seal :	
		NO PENA	LTY CEF	RTIFICATI	<u>E</u>			
Certified	that no	minor/	major	penalty	has	been	imposed	on
Dr./Shri/Smt./Ms				wh	o has ap	plied for	r the post o	f Joint
Adviser (
contract)during the		- 1			•	,		
	•					Auth	orised sign	atory]
					Name	-	e Seal :	• •
				Date				
			*****	*				

ячя / PROFORMA

आवेदित पद का नाम	
Name of the post applied for	

- 1. नाम और पता / Name and Address (In Block Letters)
- 2. जन्म तिथि / Date of birth (in Christian era)
- 3. केन्द्रीय / राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति की तारीख / Date of retirement under Central/ State Govt. Rules
- 4. शैक्षिक अर्हताएं / Educational Qualifications
- 5. क्या निर्धारित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्राप्त हैं (यदि कोई अर्हता निर्धारित अर्हता के समकक्ष मानी जारही है तो उस संबंध में प्राधिकरण का नाम बताएं) / Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same).

निर्धारित अर्हताएं / अनुभव / Qualifications / Experience required	अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हताएं / अनुभव /Qualifications / Experience possessed by the officer
अनिवार्य / Essential : 1. 2. 3.	
वांछनीय / Desirable: 1. 2. 3.	

- 6. कृपया यह स्पष्ट बताएं कि ऊपर इंगित तथ्यों के आधार पर क्या आप उक्त पद के लिए निर्धारित आवश्यकताएँ पूरी करते हैं / Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post.
- 7. सेवा संबंधी कालक्रमानूसार विवरण. आवश्यकता होने पर, हस्ताक्षरित अलग पृष्ठ संलग्न कर पूरा ब्यौरा दें / Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

कार्यालय / संस्थान / Office/ Institution	धारित पद / Post held	से / From	तक /To	वेतनमान और मूल वेतन / Scale of pay and basic pay	कार्य का स्वरूप / Nature of duties (in details)

- 8. वर्तमान सेवा का स्वरूप अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायीवत् अथवा स्थायी / Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-permanent or Permanent.
- 9. यदि वर्तमान सेवा प्रतिनियुक्ति / संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं कि / In case the present employment is held on deputation/ contract basis, please state
 - a) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि / The date of initial appointment
 - b) नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि / Period of appointment and deputation/ contract
 - c) मूल कार्यालय / संगठन का नाम / Name of the parent office/ organisation to which you belong

10. वर्तमान सेवा के बारे में अतिरिक्त विवरण / Additional details about present employment

कृपया नियोक्ता का नाम संबंधित कॉलम के सामने लिखे / Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column).

- a) Central Govt.
- b) State Govt.
- c) Autonomous Organisation
- d) Government Undertaking
- e) Universities
- f) Others
- 11. कृपया यह बताएं कि आप उसी कार्यालय में कार्यरत हैं और क्या आप परिपूरक ग्रेड में या परिपूरक के परिपूरक ग्रेड में हैं / Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.
- 12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हाँ, तो संशोधन की तिथि तथा संशोधन पूर्व वेतनमान बताएं / Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.
- 13. वर्तमान में प्राप्त हो रहीं कुल परिलब्धियाँ / Total emoluments per month now drawn.
- 14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसके बल पर आप उक्त पद हेतु अपनी उपयुक्तता का दावा करते हैं / Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.
- 15. कृपया यह बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (अल्पाविध अनुबंध सिहत) / आमेलन / पुनर्नियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं (केवल केन्द्र / राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे. गैर-सरकारी संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र होंगे) / Please state whether you are applying for deputation (including short-term contract) / Absorption/ Re-employment basis. (Officers under Central/ State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organisations are eligible only for Short-Term Contract).
- 16. क्या अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के हैं /Whether belongs to SC/ST.
- 17. अभ्युक्तियाँ (अभ्यर्थी (i)अनुसंघान प्रकाशनों और प्रतिवेदनों और विशेष परियोजनाओं; (ii) पुरस्कारों / छात्रवृत्तियों /सरकारी प्रोत्साहनों (iii) व्यावसायिक संस्थानों / संगठनों / समितियों से संबद्धता इत्यादि के बारे में विवरण दे सकते हैं) (टिप्पणी : यदि आवश्यकता हो तो अलग पृष्ठ संलग्न करें) Remarks [The candidates may indicate information with regard to (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/ Scholarship/ Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and (iv) any other information.] (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन ध्यान पूर्वक पढ़ा है और मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि मेरे आत्मवृत्त के समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का, चयन करते समय, चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा / I have carefully gone through the vacancy circular/ advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :

पता :

Signature of the candidate: Address:

दिनांक :

Date:

प्रतिहस्ताक्षरित : (नियोक्ता का नाम व कार्यालय मोहर) Counter signed:

(Employer with Seal)

भारत सरकार योजना आयोग

सं.ए-12025/07/2014-प्रशासन-1

योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक || मार्च, 2014

रिक्ति परिपत्र

विषयः योजना आयोग में प्रोन्नित / प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर संयुक्त सलाहकार पीबी:4 रूपये 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 रू पर भर्ती ।

योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार(साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' , राजपत्रित अन्नुसचिवीय) के निम्नांकित पदों पर संयुक्त पद्धित अर्थात् प्रोन्नित/ प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है।

क्रम सं	पद का नाम	रिक्त पदो की संख्या
1	सयंक्त सलाहकार (श्रम एवं रोजगार)	01 (एक)
2	सयंक्त सलाहकार (उद्योग और अवसंरचना योजना)	01 (एक)
3	सयंक्त सलाहकार (ग्रमीण और लघु उद्योग)	01 (एक)
4	सयंक्त सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान)	01 (एक)
5	सयंक्त सलाहकार (कृषि)	01 (एक)
6	सयंक्त सलाहकार (बहुस्तरीय योजना)	01 (एक)
7	सयंक्त सलाहकार (औद्योगिक अर्थशास्त्र/ प्रबंध)	01 (एक)

2. पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। यदि पद हेतु किसी विभागीय उप सलाहकार का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तो उस पद को पदोन्नित द्वारा भरा माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य उम्मीदवारों के मामले में केवल प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि के लिए विचार किया जाएगा जो पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगा।

3. पद से संबद्ध कार्य

1. संयुक्त सलाहकार(श्रम और रोजगार)

संयुक्त सलाहकार (श्रम और रोज़गार) स्वयं को आवंटित कार्य के अनुसार, सलाहकार को श्रम नियोजन और जनशक्ति प्रभाग के कामकाज को करने में सहायता के लिए है। इस अधिकारी को निम्नांकित के तकनीकी/प्रचालनात्मक पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए:-

- 1. आयोजना, कार्यनीति तथा कार्यक्रम का निर्माण लक्षित समूहों को खास तौर से ध्यान में रखते हुए करना।
- 2. वेतन, आय तथा श्रम बाजार।

- 3. निवेश, प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न क्षेत्रकों के श्रम आमेलन।
- 4. श्रम नीति और श्रम कल्याण योजनाएं।
- 5. सर्वेक्षणों तथा अन्य स्रोतों से जनांकिक रोजगार/बेरोजगारी तथा जनशक्ति संबंधी आँकड़ों की व्याख्या तथा विश्लेषण।
- 6. शिक्षा, प्रशिक्षण,कौशल निर्माण तथा जनशक्ति आयोजना के बीच अंतर्सबंध।
- 7. योजनाओं तथा विशिष्ट कार्यक्रमों के नियोजन तथा जनशक्ति पहलुओं का अनुवीक्षण।
- 8. श्रम, नियोजन तथा जनशक्ति के क्षेत्र में परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन।

अधिकारी को श्रम, नियोजन तथा जनशक्ति के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक/आनुमानिक अध्ययनों का अनुसंधान करने में भी सक्षम होना चाहिए।

2. संयुक्त सलाहकार(उद्योग और अवसंरचना योजना)

- 1. ऊर्जा(कोयला,पेट्रोलियम तथा बिजली) जैसे उद्योगों, खिनजों, अवसंरचना तथा परिवहनों के विकास के लिए माध्यमिक तथा दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण।
- 2. पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के संबंध में गठित कार्यदलों तथा समितियों में सहभागिता।
- 3. इनपुट-आउटपुट मॉडल से परिलक्षित उपभोग क्षेत्रकों की विकास दरों को ध्यान में रखते हुए, कई महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए वास्तविक इकाइयों में मांग का आकलन करने हेतु वस्तुगत संतुलनों का निर्माण।
- 4. वस्तुगत संतुलनों के निर्माण के लिए अपेक्षित नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकासों के आधार पर, वास्तविक उपभाग मानकों(अंतर-उद्योग संबंध) का निरन्तर अद्यतनीकरण।
- 5. कपड़ा, ऑटोमोबाइल टायरों, कागज तथा चीनी जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन तथा उससे संबंधित निवेश निर्णयों की सहायता के लिए मांग की दृष्टि से औद्योगिक परियोजनाओं का विश्लेषण।
- 6. मांग, आउटपुट तथा क्षमता उपयोग के लक्ष्यों के आधार पर प्रमुख उद्योगों में सृजित की जाने वाली क्षमता का अनुमान लगाना।
- 7. विभिन्न विनिर्माण उद्योगों के उत्पादन में पिछली प्रवृत्तियों का विश्लेषण।
- 8. निजी कॉरपोरेट तथा गैर-कॉरपोरेट विनिर्माण क्षेत्र में निवेश,आउटपुट,पूंजी आउटपुट अनुपात आदि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण।
- 9. औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नीति, लाइसंस देने तथा सघनता के भीतर ढांचागत परिवर्तनों से संबंधित अध्ययन।
- 10. इनपुट-आउटपुट तालिका को अद्यतन करने के लिए, बड़ी संख्या में उद्योगों(500 से अधिक) के वार्षिक उत्पादन डेटा संकलन का व्यवस्थापन।
- 11. पर्यावरणीय आयोजना तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अध्ययन।
- 12. औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन,आयात और निर्यात तथा भुगतान संतुलन पर उनका प्रभाव।
- 13. नवीकरणीय तथा गैर-नवीकरणीय स्रोतों की उपलब्धता तथा उपयोग के संबंध में दीर्घकालिक कार्यनीति का अध्ययन।
- 14. पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन ।

3. संयुक्त सलाहकार(ग्रमीण और लघु उद्योग)

1. ग्रमीण और लघु उद्योग क्षेत्र(वीएसआई) के विकास के लिए मध्यावधिक तथा दीर्घावधिक योजनाएं तैयार करना।

- 2. मौजूदा आर्थिक परिस्थिति, वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापक संगठन संबंधी पहलुओं, अर्थव्यवस्था में योगदान, उद्योग क्षेत्र के साथ अग्र-पश्च संबंधों(लिंकेज) आदि को ध्यान में रखते हुए वीएसआई क्षेत्रके लिए प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों का निर्माण।
- 3. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजना दस्तावेजों के लिए वीएसआई क्षेत्रक अध्याय तैयार करना।
- 4. संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संगठनों द्वारा प्रस्तावित वीएसआई क्षेत्र की स्कीमों तथा कार्यक्रमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन/जांच करना और निधियों की आवश्यकता का आकलन करना तथा पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के लिए मंत्रालयों//राज्य सरकारों/संगठनों के लिए योजना परिव्ययों/बजटीय संसाधनों की सिफारिश करना।
- 5. योजना निधि(बजटीय तथा अन्य स्रोत) का न्यायोचित उपयोग सुनिश्वित करने के लिए उद्देश्य निर्धारित करने हेतु स्कीमों/कार्यक्रमों/संगठनों के निष्पादन का मूल्यांकन/आकलन करने के लिए समितियों/समूहों में सहभागिता।
- 6. वीएसआई क्षेत्र के लिए मंत्रिमंडल,मंत्रिसमूह,व्यय वित समिति, सचिव समिति तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों आदि के लिए नोट तैयार करने हेतु टिप्पणियां/मूल्यांकन नोट तैयार करना तथा प्रस्तावों/परियोजनाओं/स्कीमों आदि की जांच करना।
- 7. योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों/सदस्यों को वीएसआई क्षेत्र से जुड़े सरकारी कामों/कर्तव्यों के निर्वहन में समय-समय पर सहयोग करना।
- 8. एक टीम के रूप में काम करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशानिर्देश देना ताकि वे वीएसआई क्षेत्र के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों, योजना आयोग के सदस्यों के सभी आदेशों/निदेशों का पालन कर सकें।
- 9. केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे वीएसआई क्षेत्र संबंधी स्कीमों/ कार्यक्रमों/परियोजनाओं/संगठनों के निष्पादन पर नजर रखना/जांच करना तथा योजना निधियों/संसाधन उपयोग की दक्षता और कुशलता का आकलन करना।

4. संयुक्त सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान)

- 1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और सीएसआईआर, जैव-प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा (अनुसंधान एवं विकास), अंतिरक्ष, फॉरेंसिक विज्ञान और पुलिस बेतार विभाग, बंजर भूमि विकास सिहत पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्रालय के वार्षिक, पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों और उनके आवंटन की जांच और मूल्यांकन।
- 2. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण कार्यक्रम।
- 3. प्रमुख सामाजिक-आर्थिक मंत्रालयों/विभागों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक।
- 4. योजना आयोग की ओर से विदेशी तकनीकी सहायता कार्यक्रमों से संबंधित कार्य का समन्वय।
- 5. विज्ञान और प्रौद्योगिका संबंधी प्रयासों की प्रगति की समीक्षा करना और अनुशंसात्मक उपाय शुरू करना।
- 6. निरंतर मूल्यांकन के लिए चयनित प्रमुख परियोजनाओं/स्कीमों/क्षेत्रों पर अनुवर्ती अध्ययन।
- 7. उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठकों में भागीदारी।
- 8. मंत्रिमंडल संबंधी कागजातों तथा अन्य गुप्त मामलों की जांच।
- 9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संबद्ध मामलों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विभिन्न विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक पेपर तैयार करना।
- 10. उपर्युक्त के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन।
- 11. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों की जानकारी।

5. संयुक्त सलाहकार (कृषि)

संयुक्त सलाहकार (कृषि) के लिए सलाहकार (कृषि) और प्रधान सलाहकार (कृषि) के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, निर्देशन आदि में कार्य करना अपेक्षित होगा। वे पृथ्वी और जलीय सतहों को शामिल करते हुए कृषि के क्षेत्र में योजना संबंधी अध्ययन आदि प्रवर्तित और कार्यान्वित करेंगे।

6. संयुक्त सलाहकार (बहुस्तरीय योजना)

योजना आयोग के संबंधित सलाहकार की निम्न मामलों में सहायता करना:-

- क्षेत्र विकास कार्यक्रमों विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नीतियां तैयार करना;
- 2. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रचालन की निगरानी और समन्वय;
- विशेष क्षेत्र विकास/पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं/स्कीमों की जांच करना;
- 4. उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए कार्य-योजना का समन्वय और निगरानी;
- 5. प्रभाव अध्ययन करवाना और निष्कर्षों को नीतियों/कार्यक्रमों में समाविष्ट करना; तथा क्षेत्र विकास/पिछड़े क्षेत्रों और बह्-स्तरीय आयोजना के विषय से संबंधित संसदीय कार्यों को भी निपटाना।

7. सयंक्त सलाहकार (औद्योगिक अर्थशास्त्र/ प्रबंध)

- पदधारक, आर्थिक और औद्योगिक नीतियों और कार्यक्रमों के सामान्य मुद्दों और उद्योग प्रभाग में समन्वय कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।
- 2. सामान्य मुद्दों, कीमतों, राजकोषीय और वित्तीय कर, निर्यात, आयात और इससे संबंधित तुलनात्मक लाभों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अन्य पहलुओं से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करना, उन्हें सूत्रबद्ध करना और समीक्षा करना।
- 3. औद्योगिक आर्थिकी और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करना।
- सामान्य आर्थिक और औद्योगिक मुद्दों को शामिल करने वाले पहलुओं सिहत विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को सूत्रबद्ध करना व उनकी जांच करना।
- 5. औद्योगिक कार्यक्रमों यथा विकास परिषदों, लाइसेंस जारी करने वाली समितियों, परियोजना अनुमोदन बोर्ड, विदेशी निवेश बोर्ड, पूंजीगत सामान संबंधी समिति, एनआरआई समिति, आदि से संबंधित शीर्ष सरकारी एजेंसियों में भागीदारी।
- 6. मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों/मंत्री-समूहों/सचिवों की समितियों आदि के लिए नोट की जांच।
- 7. आर्थिक विकास से संबंधित मामलों, नीतियों, कार्यक्रमों और सामान्य मुद्दों के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों, आदि के साथ समन्वय।
- 8. आर्थिक विकास के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों/उद्योग संघों/व्यक्तियों, आदि से प्राप्त प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन।
- 9. वार्षिक, पंचवर्षीय और दीर्घकालिक संदर्श योजनाओं और इनसे संबंधित नीतियां तैयार करने तथा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य, जैसे कि संसद व इसकी समितियों, वीआईपी हवालों आदि के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों/आयोग की सहायता करना।
- 10. उप सलाहकारों तथा प्रभाग के अन्य अनुसंधान स्टाफ का पर्यवेक्षण करना और उन्हें मार्गदर्शन देना।

4. अर्हताएं

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) हेतु:-

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत संगठनों के ऐसे अधिकारी:-

- (अ)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. ग्रेड वेतन 7600 रु. में नियमित आधार पर निय्क्ति के पश्चात् पद पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और
- (ब) जिनके पास, क्रम संख्या ७ में उल्लिखित, विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो ।

प्रोन्नति हेतु

वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. ग्रेड वेतन 7600 रु. में नियुक्थ विभागीय उप सलाहकार जिन्होंने श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास, नीचे मद संख्या 7 के सामने यथा निर्दिष्ट, विहित शैक्षिक अर्हताएं और अन्भव हो ।

5. **आयु सीमा**:

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा निर्दिष्ट पात्रता निर्धारण की निर्णायक तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि:

अर्हता निर्णय करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी ।

7 अर्हताएं और अनुभव :

1. संयुक्त सलाहकार (श्रम और रोजगार)

अनिवार्यः

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज विज्ञान की किसी भी शाखा में या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य।
- (ii) श्रम और रोजगार के क्षेत्र में परियोजनाओं/कार्यक्रमों के अनुसंधान/विकास/योजना/ मूल्यांकन का 12 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

- (i) संबंधित क्षेत्र में डाँक्टरेट की डिग्री।
- (ii) रोजगार कार्यक्रमों के संबंध में क्षेत्र सर्वेक्षण आयोजित करने या सांख्यिकी/अर्थमिति/ आंकड़ों के संग्रहण/विक्षेषण/निर्वचन या उनको मानीटर करने में 12 वर्ष में से कम से कम 6 वर्ष का अनुभव।
- (iii) श्रम और रोजगार या संबंधित क्षेत्रों का अनुसंधान अनुभव जो प्रकाशित रचना द्वारा साक्ष्यित हो।

2. संयुक्त सलाहकार (उद्योग और अवसंरचना योजना)

अनिवार्यः

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में डिग्री या इंजीनियरिंग संस्थान के भाग ए और बी के एशोसिएट सदस्य।
- (ii) औद्योगिक और आधारिक संरचना आयोजना सामग्री और सामग्री शेष (मैटीरियल एण्ड कोमोडिटी बैलेंसेज़) के क्षेत्र में अनुसंधान/अंकन/विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन का 12 वर्ष का अन्भव।

वांछनीय:

- (i) विज्ञान/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में डाँक्टरेट की उपाधि अथवा प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।
- (ii) देश में धातुओं, उत्पादन, रसायन, वियुत और परिवहन की बदलती हुई संरचना से संबंधित प्रकाशित रचना, यदि कोई हो।
- (iii) 12 वर्ष में से कम से कम 6 वर्ष योजना धारणाओं और/या औद्योगिक और आधारिक संरचना के लिए दीर्घाविध आयोजना का अन्भव हो।

3. संयुक्त सलाहकार (ग्रामीण तथा लघु उद्योग)

अनिवार्यः

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य या इंजीनियरिंग संस्थान (ए एम आई ई) भाग ए और बी के एशोसिएट सदस्य या भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री।
- (ii) उद्योग/औद्योगिक विकास/लघु उद्योग/ग्रामीण तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने/विकास/क्रियान्वयन/संवर्द्धन 12 वर्ष का अन्भव।

वांछनीय:

- (i) विज्ञान के सुसंगत क्षेत्र में डाँक्टरेट की उपाधि या प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।
- (ii) 12 वर्ष में से कम से कम 2 वर्ष ग्रामीण और लघु उद्योग के विकास/संवर्द्धन का अनुभव हो।
- (iii) ग्रामीण और लघु उद्योग के क्षेत्र में विकास/संवर्द्धन के संबंध में सरकारी नीतियों विनियमों का प्रशिक्षण, यदि कोई हो।
- (iv) ग्रामीण और लघु उद्योग और उद्योगों/औद्योगिक क्षेत्रों आदि के अन्य खंडों के साथ अंतरापृष्ठ क्षेत्र में प्रकाशित रचना, यदि कोई है।
- (v) 12 वर्ष में से कम से कम 4 वर्ष ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र में नीतियों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/ स्कीमों/योजना दस्तावेजों मूल्यांकन विनिर्मित का अनुभव हो।

4 संयुक्त सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान)

अनिवार्यः

- (i) विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से इंजीनियरी में डिग्री या इंजीनियरिंग संस्थान के भाग ए और बी के एशोसिएट सदस्य।
- (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान/डिजाइन/विकास या अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 12 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

- (i) विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में डाँक्टरेट की उपाधि या इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।
- (ii) 12 वर्ष में कम से कम 4 वर्ष का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुविधा क्षेत्रों या अग्रणी क्षेत्रों/नये उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान/आयोजित करने/संगठित करने/निर्देशन/ आयोजन का अनुभव।
- (iii) 12 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष का वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकीय सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार का अनुभव।

5. संयुक्त सलाहकार (कृषि)

अनिवार्यः

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में मास्टर डिग्री या समतुल्य।
- (ii) कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान/विकास/योजना निर्माण/कार्यान्वयन का 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कृषि उत्पादन में जिला/खंड/परियोजना स्तर पर न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय:

- (i) कृषि में डाँक्टरेट की डिग्री।
- (ii) कृषि विकास के विभिन्न पहलुओं का और/क्षेत्र विस्तार सेवा का प्रशिक्षण, यदि कोई हो।
- (iii) 12 वर्ष में कम से कम 6 वर्ष का कृषि विकास/विस्तार के मूल्यांकन/परियोजनाओं/ स्कीमों के अंकन का अनुभव।

6. संयुक्त सलाहकार (बहुस्तरीय योजना)

अनिवार्यः

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या गणित या सांख्यिकी या संक्रिया अनुसंधान या भूगोल में मास्टर डिग्री या समतुल्य।
- (ii) बहुस्तरीय/प्रादेशिक/क्षेत्रीय योजना में, जिसके अंतर्गत प्रादेशिक और स्थानीय स्तरों पर योजना बनाने और उसकी आलोचनात्मक परिक्षा करने, मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करने, नीति विश्लेषण करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का 12 वर्ष का अन्भव।

वांछनीय:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंबंधित क्षेत्र में डाँक्टरेट की उपाधि या समतुल्य।
- (ii) बहुस्तरीय/प्रादेशिक/क्षेत्रीय योजना निर्माण में प्रकाशित रचना।

संयुक्त सलाहकार (औद्योगिक अर्थशास्त्र /प्रबन्धन)

अनिवार्य:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/गणित/सांख्यिकी/संक्रिया अनुसंधान/कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री अथवा समतुल्य से इंजीनियरिंग में डिग्री या इंजीनियरिंग संस्थान के भाग ए और बी के एशोसिएट सदस्य।
- (ii) औद्योगिक अर्थशास्त्र/प्रबन्धन जिसके अंतर्गत वृहद परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक अंकन, उनकी मांग, आपूर्ति, मूल्य वृद्धि आदि हैं, का तकनीकी आर्थिक विश्लेषण ऐसी परियोजनाएं, उनके विकास पद्धति/प्रतिमान को मानीटरिंग और मूल्यांकन में 12 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

(i) औद्योगिक अर्थशास्त्र की सुसंगत शाखा में डाँक्टरेट की उपाधि अथवा इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

- (ii) 12 वर्ष के अनुभव में कम से कम 2 वर्ष अनुसंधान के संचालन/आयोजन/निर्देशन करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर अनुसंधान पत्र तैयार करने का अनुभव हो।
- (iii) औद्योगिक अनुजापन, विदेशी निवेश और सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से विकासशील देशों से संबंधित उदघटनाएं और मामले जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और व्यापार और टैरिफ पर व्यापक करार, आर्थिक समुदायों, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, आदि के संबंध में सिद्धान्तों और नीतियों के संबंध में प्रशिक्षण, यदि कोई हो।
- (iv) 12 वर्ष में से कम से कम 4 वर्ष तकनीकी आर्थिक अध्ययन अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुभव हो।

8. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अविध जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अनुबंध की अविध है, साधारणतयः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति तथा अल्पाविध-अनुबंध सिहत में आने वालों की निबंधन एवं शर्ते, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009- स्था. (वेतन II) दिनांक 17 जून 2010 में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

- 9. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (पाठ्यक्रम ब्यौरे) संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेषित करना अपेक्षित है ;-
 - (i) संवर्ग अनुमति / सुस्पष्ट अनापत्ति ;
 - (ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच वर्षों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;
 - (iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप) में ।
 - (iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित हे और न ही अपेक्षित है, तथा
 - (v) विगत 10 वर्षो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंड़ नहीं , प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)।
- 10. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाएं जिनके विरूद्ध सर्तकता का कोई मामला न हो । इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिन तक होगी।
- 11. आवेदक यह सुनिश्चत करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपन्न में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो । प्रपन्न में कोई भी स्थान रिक्त न हो । "लागू नहीं " अथवा "शून्य " सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो संपूर्ण हों और **उचित माध्यम से** अंतिम तिथि या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हों ।

ँ (जी0 राजीव) अवर सचिव , भारत सरकार

दूरभाष: 23096531

9

[अभ्यर्थी जो प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर आवेदन करता है , के आवेदन के साथ पृथक रूप से संलग्न करने हेतु आवश्यक विभिन्न प्रमाण पत्रों का प्रारूप]

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र
डा० / श्री / श्रीमति / सुश्री
(उपसचिव या ऊपर के पद के अधिका द्वारा हस्ताक्षरित नाम एवं कार्यालय मोहर दिनांक;
सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र
प्रमाणित किया जाता है कि डा० / श्री / श्रीमति / सुश्रीजिन्होंने योजन
आयोग में प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर संयुक्त सलाहकार () के पद के लिए आवेदन किया है , के विरुद्ध को सतर्कता मामला या अनुशासनात्मक कार्यवाई या आपराधिक कार्यवाई न तो चल रही है न विचारित है
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम एवं कार्यालय मोहर दिनांक ;
कोई दण्ड नहीं प्रमाणपत्र
प्रमाणित किया जाता है कि डा0 /श्री / श्रीमित / सुश्री,,,
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम एवं कार्यालय मोहर दिनांक :

प्रपत्र / PROFORMA

आवेदित पद का नाम	
Name of the post applied for	

- 1. नाम और पता / Name and Address (In Block Letters)
- 2. जन्म तिथि / Date of birth (in Christian era)
- 3. केन्द्रीय / राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति की तारीख / Date of retirement under Central/ State Govt. Rules
- 4. शैक्षिक अर्हताएं / Educational Qualifications
- 5. क्या निर्धारित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्राप्त हैं (यदि कोई अर्हता निर्धारित अर्हता के समकक्ष मानी जारही है तो उस संबंध में प्राधिकरण का नाम बताएं) / Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same).

निर्धारित अर्हताएं / अनुभव / Qualifications / Experience required	अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हताएं / अनुभव /Qualifications / Experience possessed by the officer
अनिवार्य / Essential : 1. 2. 3.	
वांछनीय / Desirable: 1. 2. 3.	

- 6. कृपया यह स्पष्ट बताएं कि ऊपर इंगित तथ्यों के आधार पर क्या आप उक्त पद के लिए निर्धारित आवश्यकताएँ पूरी करते हैं / Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post.
- 7. सेवा संबंधी कालक्रमानूसार विवरण. आवश्यकता होने पर, हस्ताक्षरित अलग पृष्ठ संलग्न कर पूरा ब्यौरा दें / Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

कार्यालय / संस्थान / Office/ Institution	धारित पद / Post held	से / From	तक /To	वेतनमान और मूल वेतन / Scale of pay and basic pay	कार्य का स्वरूप / Nature of duties (in details)

- 8. वर्तमान सेवा का स्वरूप अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायीवत् अथवा स्थायी / Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-permanent or Permanent.
- 9. यदि वर्तमान सेवा प्रतिनियुक्ति / संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं कि / In case the present employment is held on deputation/ contract basis, please state
 - a) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि / The date of initial appointment
 - b) नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि / Period of appointment and deputation/ contract
 - c) मूल कार्यालय / संगठन का नाम / Name of the parent office/ organisation to which you belong

10. वर्तमान सेवा के बारे में अतिरिक्त विवरण / Additional details about present employment

कृपया नियोक्ता का नाम संबंधित कॉलम के सामने लिखे / Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column).

- a) Central Govt.
- b) State Govt.
- c) Autonomous Organisation
- d) Government Undertaking
- e) Universities
- f) Others
- 11. कृपया यह बताएं कि आप उसी कार्यालय में कार्यरत हैं और क्या आप परिपूरक ग्रेड में या परिपूरक के परिपूरक ग्रेड में हैं / Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.
- 12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हाँ, तो संशोधन की तिथि तथा संशोधन पूर्व वेतनमान बताएं / Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.
- 13. वर्तमान में प्राप्त हो रहीं कुल परिलब्धियाँ / Total emoluments per month now drawn.
- 14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसके बल पर आप उक्त पद हेतु अपनी उपयुक्तता का दावा करते हैं / Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.
- 15. कृपया यह बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन / पुनर्नियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं (केवल केन्द्र / राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे. गैर-सरकारी संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र होंगे) / Please state whether you are applying for deputation (including short-term contract) / Absorption/ Re-employment basis. (Officers under Central/ State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organisations are eligible only for Short-Term Contract).
- 16. क्या अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के हैं /Whether belongs to SC/ST.
- 17. अभ्युक्तियाँ (अभ्यर्थी (त्रेअनुसंधान प्रकाशनों और प्रतिवेदनों और विशेष परियोजनाओं; (त्त्र) पुरस्कारों / छात्रवृत्तियों /सरकारी प्रोत्साहनों (त्त्त्र) व्यावसायिक संस्थानों / संगठनों / सिमितियों से संबद्धता इत्यादि के बारे में विवरण दे सकते हैं) (टिप्पणी : यदि आवश्यकता हो तो अलग पृष्ठ संलग्न करें) Remarks [The candidates may indicate information with regard to (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/ Scholarship/ Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and (iv) any other information.] (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन ध्यान पूर्वक पढ़ा है और मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि मेरे आत्मवृत्त के समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का, चयन करते समय, चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा / I have carefully gone through the vacancy circular/ advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :

पता :

Signature of the candidate: Address:

दिनांक : Date:

प्रतिहस्ताक्षरित:

(नियोक्ता का नाम व कार्यालय मोहर)

Counter signed:

(Employer with Seal)